


21<sup>03</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश। वकील पार्थी या पार्थी स्वये  
उपस्थित नहीं। बाब-वार आवाज लाने  
पर भी उपस्थित नहीं आए। अतः पार्थी  
का यह अर्थक फज अफज फेरकी-अइम  
हामिली में इसी स्तर पर खारिज किया  
जाया है। पत्रावली वाइ तरलख लकील  
देकर सामिल स्फरल हो।

किरिय लियाया पमि खुले न्यायालय  
में सुनया गया।

  
(मंगल कुमल भीम)  
Rajaso

